न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्‌ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **100/2019** अपील सू.प्र.

उनवान

श्री प्रभात कुमार वर्मा, जांगिड वुड एण्ड प्लाईवुड के सामने, महिला आश्रम स्कूल के पास, आई.सी.आई. सी.बैंक रोड, भीलवाडा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा

---अपीलार्थी ---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 15/11.2019

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 11.09.2019 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के एक आवेदन दिनांक 04.10.2019 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को प्रेषित किया गया। किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 11.09.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा के पत्रांक 426 दिनांक 29.11.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में न्याय अनुभाग के पत्रांक/26821 दिनांक 11.11.2019 से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी हैं।

अतएव अपील में अंकित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना प्रेषित कर दी जाने से प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 15/11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्‌ट)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा